# माननीय उच्चतम न्यायालय सिविल अपीलीय अधिकारिता सिविल अपील नं0 6403/2009

शीतल देवी एवं अन्य

अपीलार्थी

बनाम

उ०प्र० राज्य

प्रतिवादी

## निर्णय

- 1. यह अपील सी.एम.डब्लू.पी.नं० 359/2008 में उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित दिनांकित 05.01.2008 अन्तिम निर्णय और आदेश के विरूद्घ दाखिल है जिसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपीलार्थीगणों द्वारा दायर की गयी रिट याचिका को खारिज कर दिया।
- 2. यह अपील संक्षिप्त बिन्दु सम्मिलित करती है जो नीचे लिखे तथ्यों से स्पष्ट होगा।
- 3. यह मामला भूमि से सम्बन्धित है, जो उ०प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत सीलिंग कार्यवाहियों की विषय वस्तु थी (जो आगे 'अधिनियम के रूप में उल्लिखित)।
- 4. राम भरोसे लाल प्रश्नगत भूमि का मूल रूप से अधिकार रखते थे। भूमि पर उनके अधिकार रखने के हक सम्बन्धी कार्यवाही, अधिनियम के प्रवृत्त होने के बाद, उस अधिनियम की धारा 10(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के साथ दिनांक 30.01.1974 को शुरू हुई।

.....

### *चद द्योषणा*

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

- 5. दिनांक 30.01.1974 से दिनांक 05.01.2000 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने तक जिससे यह अपील उत्पन्न होती है, यह प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित मामला अधिनियम के अन्तर्गत या तो विहित प्राधिकरण या अपीली प्राधिकरण द्वारा निपटाया जा रहा था और फिर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कई बार अपनी याचिका अधिकारिता के अन्तर्गत।
- 6. वास्तविक धारक की मृत्यु पर, उसकी पत्नी अपीलार्थी नं0—1 और पुत्र— अपीलार्थी नं0—2 मामले का अनुसरण कर रहे है।
- 7. आदेश दिनांक 30.09.1974 द्वारा, विहित प्राधिकरण ने कुल भूमि जिसकी माप 23.12 एकड़ में से 5.08 एकड़ को भूमि धारक के हाथ में अधिनियम के अन्तर्गत विहित सीलिंग सीमा से आधिक्य भूमि घोषित की गई।
- 8. यह विवाद्यक पुनः अपीलों की विषय वस्तु बना। परिणामतः, विहित प्राधिकरण ने आदेश दिनांक 07 / 14.04.1981 द्वारा भूमि धारक की 2.90 एकड़ भूमि को आधिक्य घोषित की। तदनुसार, इसे अधिनिमय के उपबन्धों के अनुसार, राज्य में निहित होने के कारण अधिशेष घोषित किया गया।

## <u> उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

- 9. अपीलार्थीगणों ने पुनः यही विवाद्यक मुकदमा के द्वितीय वार में उठाया और अपील में पुनः स्थापना के लिए आवेदन द्वारा कार्यवाही की समीक्षा करने की कोशिश की गई जिसे अधिनियम के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित किया गया। वे अपने प्रयास में असफल थे और इसीलिए विवाद्यक को रिट याचिका में लाया गया जिसे इस न्यायालय में विशेष अपील द्वारा वर्तमान अपील लाने का मौका देते हुए उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।
- 10. इन पार्श्व तथ्यों के साथ, यह मामला इस अपील में इस न्यायालय में लाया गया है।
- 11. इसीलिये, संक्षिप्त प्रश्न यह है कि उच्च न्यायालय अपीलार्थीगणों की रिट याचिका खारिज करने में न्यायसंगत था।
- 12. अपीलार्थीगणों के वकील श्री अनुराग दुबे और प्रतिवादी—राज्य के वकील श्री तन्मय अग्रवाल को सुना गया।
  13. अपीलार्थीगणों के वकील ने असफल रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्यतः तीन बिन्दुओं पर तर्क किया था। उन तीन बिन्दुओं को न्यायालय के समक्ष दोहराया भी गया।

## <u> उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"। 14. प्रथमतः अपीलीय प्राधिकरण आदेश पारित करते समय जोकि रिट याचिका में आक्षेपित आदेश था, ने माननीय उच्च न्यायालय के पहले के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया था जोकि अपीलार्थीगणों की रिट याचिका में पारित किया गया था; द्वितीय, अधिनियम के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील अपीलार्थीगणों (रिट याचिकाकर्ता) द्वारा दायर नहीं की गयी, किन्तु उनकी ओर से किसी प्रतिरूपक द्वारा दायर की गयी थी और इसीलिये इस प्रश्न पर जॉच होनी चाहिए और तीसरा, एक आदेश के सम्बन्ध में विवाद्यक की क्या इसे अपीलीय आदेश में विलय किया गया था या नहीं और इसका क्या प्रभाव है इसके उचित पूर्विक्षित में परिक्षित भी किया जाना चाहिए था।

15. उत्तर में, प्रतिवादी—राज्य के वकील ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया और अपील को खारिज करने के लिए प्रार्थना किया।

16. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तृत रूप में सुनकर और पक्षकारों द्वारा दायर की गई तिथियों की सूची के प्रकाश में अभिलेखों का अवलोकन करके, हम अपील में कोई मेरिट नहीं पाते है।

### <u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

- 17. उच्च न्यायालय में इन अभिलेखों का खण्डन किया है और हमारी दृष्टि से सही है।
- 18. हम पाते है कि मुकदमा जिससे यह अपील उत्पन्न होती है और अब जिसे इस न्यायालय में लाया गया है अपीलार्थीगणों के द्वारा सिर्फ इस दृष्टि से अवलोकित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि में निहित होने सम्बन्धित विवाद्यक को जीवित रखने के लिये जो वर्ष 1981 में ही राज्य में निहित रहा है।
- 19. वास्तव में, हमारे विचार में, अधिशेष भूमि जिसकी माप 2. 90 एकड़ है, वर्ष 1981 में राज्य में निहित होने के कारण अब उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीयों के पास सीलिंग कार्यवाहियों को, एक या अधिक आवेदन कर जिसमें विचारार्थ आवेदन सम्मिलित है, पुनः प्रवर्तित करने के लिए कोई आधार नहीं है। 20. यह प्रश्न कि पुनःस्थापना पत्र को स्वीकृत किया जाना चाहिए अथवा नहीं न्यायालयों के द्वारा विचारणीय रहा एवं उचित प्रकार से अस्वीकृत कर दिया गया। इसी प्रकार यह प्रश्न कि अधिनियम के अन्तर्गत, अपीली अधिकारी के समक्ष अपील किसी प्रतिरूपक द्वारा दाखिल की गयी अथवा नहीं,

## <u> उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"। जैसा कि अपीलार्थी द्वारा अभिकथित है, पूर्ण रूप से दुर्नियोजित था और इस पर उचित प्रकार से विचार नहीं किया गया। अन्ततः आदेश के विलय का विवाद्यक समान रूप से अनुपयुक्त था जिसका विवाद्यक पर कोई प्रभाव नहीं था। हमारे विचार में, तीनो तर्कों का कोई तथ्यात्मक एवं विधिक आधार नहीं था। अतः ये उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से अस्वीकार कर दिये गये।

21. पूर्ववर्ती बातों को ध्यान में रखते हुए, यह अपील गुणागुण रहित पायी गयी। अतः यह अपर्याप्त होने के कारण खारिज की जाती है।

> अभय मनोहर सप्परे, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति

नई दिल्ली; मार्च 12, 2019

.....

### <u> उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।